सम्पादक के नाम

कुछ दिन में ये नज़ारे आम होंगे

क्योंकि बकौल पुलिस, संबित पात्रा- आर एस एस , अर्णब गोस्वामी-सुधीर चौधरी-अंजना ओम कश्यप मामला प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का है, इसकी जांच तो होगी ही और "सच" सामने आएगा ।

इस अत्यंत संवेदनशील मामले में "सच्चाई" उजागर करने के प्रति मोदी सरकार कितनी गंभीर है, बानगी देखिये——1 जनवरी को FIR हुई, 6 महीने बाद जून में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दावा किया गया कि प्रधानमंत्री की हत्या के प्लाट की ओर इशारा करने वाला दस्तावेज मिला है, फिर 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद अब 5 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है !

प्रधानमंत्री की हत्या के संभावित साजिशकर्ताओं की गिरफ़्तारी में इतना विलम्ब ? वे बाहर थे, कोई अनहोनी घट जाती तो कौन जिम्मेदार होता ? इतनी धीमी जांच, आखिर यह किसकी साजिश है ???

बहरहाल, क्या देश अब यह उम्मीद कर सकता है कि जल्द से जल्द उजागर करके इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जायेगा अथवा अन्य ऐसे ही मामलों की तरह इसे चर्जिंदाज़ रखा जायेगा ताकि चुनाव तक काम आये ??

याद आता है, आपातकाल के बाद जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे तो हिंदी के प्रख्यात समालोचक प्रो0 रघुवंशजी को देख कर दंग रह गए, जो दोनों हाथों से विकलांग थे और इमरजेंसी में जेल में बंद किये गए थे- इस आरोप में कि वह इंदिरा गांधी की सत्ता को अस्थिर करने के लिए खंभे पर चढ़ कर तार काट रहे थे !!!!!

आजमगढ़ के तब के विख्यात वेस्ली इंटर कालेज में मेरे हाई स्कूल के सबसे प्रिय विज्ञान-गणित अध्यापक श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव, जिन्हें मैं अपने जीवन में मिला सबसे आदर्श अध्यापक मानता हूँ, इसलिए जेल में डाले गए थे कि वे इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की साजिश कर रहे थे (संभवत: CI के इशारे पर !) !!!!

सुधा से कभी मुलाकात का संयोग तो नहीं हुआ, लेकिन वे छात्र जीवन से ही IIT, Kanpur के दोस्तों के माध्यम से हमारे बीच चर्चा का विषय रहती थीं - बेशक वे हमारी पीढ़ी की, (संभवत: हमारे बैच की भी), सबसे मेधावी और सबसे आदर्शवादी छात्रों में थीं जिन्होंने अपने कैरियर को लात मारकर जनसेवा का मार्ग चुना और हमारे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदिवासी समाज के जीवन में बदलाव तथा मानवाधिकारों के लिए अपने को समर्पित कर दिया।

डा0 आनंद तेलतुंबड़े (डा0 आंबेडकर के वंशज), जो निर्विवाद रूप से देश के सबसे प्रखर दलित बुद्धिजीवियों में हैं तथा गौतमजी जो गंभीर बुद्धिजीवी तथा लोकतांत्रिक अधिकार आंदोलन के नेता हैं, वरवर राव, जो सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि व लेखक हैं आदि के खिलाफ लगाये गए आरोपों ने इंदिरा राज में प्रो0 रघुवंश जैसों पर लगे आरोपों की याद ताजा कर दी है । यह अनायास नहीं कि चर्चित इतिहासकार प्रो0 राम चंद्र गुहा जैसे लोग तक जो माओवाद छोडए लेनिन-मार्क्स के विचारों के भी धुर विरोधी हैं, आज इन गिरफ्तारियों के खिलाफ खड़े हैं ।

ये गिरफ्तारियां लोकतंत्र के पक्ष में, आम जनता - किसानों, नौजवानों, महिलाओं, आदिवासियों-दलितों-कमजोर तबकों के पक्ष में खड़े हर शख्स को डरा देने के लिए है !

ये गिरफ्तारियां मोदी के अखंड कारपोरेट राज की निर्बाध लूट के खिलाफ खड़ी हर आवाज को डरा देने के लिए हैं !!

ये गिरफ्तारियां कथित आज़ादी गैंग-अर्बन नक्सल का हौआ खड़ा करके पूरे देश को डराकर, बचाने वाले इकलौते "मसीहा" की शरण में ठेलने का खेल है !!!

ये गिरफ्तारियां 2019 का एजेंडा सेट करने के लिए आखिरी ब्रह्मास्त्र हैं, क्योंकि और कोई तीर काम आता नहीं दिख रहा- न मंदिर, न ओबीसी आरक्षण-विभाजन, न असम का NRC, न पाकिस्तान उन्माद, न एक देश - एक चुनाव, न तीन तलाक!

दरअसल, गिरफ्तारियों से पैदा की जा रही यह सनसनी-यह उन्माद आखिरी desperate attempt है अपनी विराट विफलताओं से उबलते जन आक्रोश को दिग्भ्रमित करने का ! क्योंकि तानाशाह डर गया है- अपनी आसन्न पराजय की आहट से, इसलिए वह सबको डराकर अपने समर्थन के लिए ब्लैकमेल का खेल खेल रहा है!!!

यह वक्त है अंतिम निर्णायक चोट का !!!!!!!! - **लाल बहादुर सिंह**

लोकतंत्र का अंतिम क्षण है

इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि एक राज्य, जहां गुंडे विश्वविद्यालय के एक शिक्षक को खुलेआम बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर देते हैं, वहाँ का उप-मुख्यमंत्री यह आरोप लगाता है कि उस शिक्षक को आयी चोटों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है और "मीडिया तथा लेफ्ट लिबरल्स की हमदर्दी जगाने" की कोशिश की जा रही है. बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को गुंडागर्दी की इस वकालत पर शर्म आनी चाहिए.

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संजय कुमार इस समय एम्स में भर्ती हैं. 17 अगस्त को एक उत्तेजित समूह ने उन्हें घर से खींचकर उनके साथ भयानक मार-पीट की. उनकी शिकायत यह थी कि संजय कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखी है. इस नाम पर उन्हें इस कदर मारा गया कि पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और फिर दिल्ली के एम्स में उन्हें आपातकाल वार्ड में भर्ती करना पड़ा.

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का, ठोस सबूतों के आधार पर, यह कहना है कि श्री संजय कुमार के साथ हुई हिंसा के लिए वाजपेयी विरोधी पोस्ट तो बस बहाना था, उन्हें दरअसल कुलपति की अनियमितताओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की सज़ा मिली है. कुलपति की मनमानी और भ्रष्ट आचरण के ख़िलाफ़ वहाँ का शिक्षक संघ 29 मई से आंदोलनरत है. शिक्षकों को स्वयं कुलपति के 'कैरिकुलम विटे' में कई गड़बड़ियां मिली हैं और उनकी वित्तीय अनियमितताओं तथा पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों का कैग की रिपोर्ट ने भी पर्याप्त संज्ञान लिया है.

शिक्षक संघ के इस आन्दोलन में संजय कुमार की सक्रिय भूमिका रही है. वे कुलपति की ज्यादतियों के मुखर आलोचक रहे हैं. यह कोई संयोग नहीं कि उनके साथ मार-पीट करने वाले समूह में सभी लोग विश्वविद्यालय के जाने-पहचाने चेहरे हैं और उनमें से ज़्यादातर कुलपति के क़रीबी हैं. उन्हें कई मौकों पर कुलपति के साथ देखा गया है. ऐसे में इस घटना के तार सीधे-सीधे कुलपति से जुड़ते दिखाई देते हैं.

इस पृष्ठभूमि में सुशील कुमार मोदी का बयान हद दर्जे की बेशर्मी का सबूत है. ऐसे ज़िम्मेदार पद पर बैठा नेता जब घटना की भयावहता को "हमदर्दी जगाने की कोशिश" बताकर ख़ारिज करता है, तो लगता है लोकतंत्र एक बेमानी शब्द भर रह गया है. श्री मोदी ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए गए अपने बयान में संजय कुमार के पोस्ट की निंदा करते हुए उस पोस्ट को घटना के लिए ज़िम्मेदार बताया है और कहा है कि संजय कुमार के समर्थक इस 'मूल अपराध' (original offence) की प्राय: अनदेखी कर रहे हैं.

इस तर्क से हमलावरों का बचाव करना स्वयं में एक अपराध है. क्या मोदी यह कहना चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आलोचनात्मक पोस्ट लिखनेवाले हर व्यक्ति पर इसी तरह हमले होने चाहिए? क्या इस समय देश में यह कहना कि "भारतीय फासीवाद का एक युग समाप्त हुआ, अटलजी अनंत यात्रा पर निकल चुके", एक अपराध है? और अपराध भी ऐसा कि उसकी सज़ा देने के लिए गुंडों की टोलियाँ नियुक्त कर दी जाएँ? एक ज़िम्मेदार पद पर रहते हुए क़ातिलाना गुंडागर्दी को इस तरह वैधता देने का क्या मतलब है? कानून के शासन के खिलाफ़ ऐसा बयान, वह भी एक उप-मुख्यमंत्री के मुंह से, घोर निंदनीय है. सुशील मोदी का बयान विश्वविद्यालय में चल रहे आन्दोलन की ओर से ध्यान बंटाने की भी एक कोशिश हो सकती है. यह सचाई है कि संजय कुमार पर हुए हमले के साथ कुलपति की ज्यादतियों और विश्वविद्यालय की गड़बड़ियों का मसला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है और उसे स्थानीय दायरों तक महदूद रखने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं. श्री मोदी संभवत: कुलपति के रक्षार्थ इस घटना को फेसबुक पोस्ट की बहस पर केन्द्रित कर देना चाहते हैं. इस मंशा की रौशनी में उनका बयान और भी गर्हित है.

- **जनवादी लेखक संघ**

खबर (दार) झरोखा

विकास नारायण राय

मॉब लिंचिंग पर राज्य हिंसा का साया

(राज्य हिंसा के जाने पहचाने उपकरण हैं, गिरफ्तारी, जेल, यातना, हत्या! राज्य हिंसा के साये में ही भीड़ हिंसा, फर्जी पुलिस मुठभेड़, झूठे अभियोजन फलते-फूलते हैं। देश भर से प्रमुख मानवाधिकार कर्मियों की गिरफ्तारी की खबर आने से ऐन पहले यह आलेख 28 अगस्त की सुबह जनज्वार और मीडिया विजिल में छपा था।)

राज्य हिंसा से कमाया व्यक्तिगत ग्लैमर इस कदर भी क्षणिक हो सकता है! गत अप्रैल में, एक कश्मीरी नौजवान को बतौर रणनीति जीप के बोनट पर बाँध कर पत्थरबाजों का सामना करने वाला मेजर गोगोई हिंदुत्व ब्रांड के राष्ट्रवादियों का बढ़ा हीरो बन बैठा था। मई में उसे श्रीनगर के एक होटल में स्थानीय लड़की के साथ गेट क्रैश करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। फिलहाल सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने इस मामले में अपने मेजर को घातक अनुशासनहीनता का दोषी पाया है।

दरअसल, कश्मीर में पत्थरबाज हिंसा, कहीं भी भीड़ हिंसा, राज्य हिंसा की ही छाया है। राज्य हिंसा पर लगाम लगाने में असफल तंत्र, भी? हिंसा से छाया युद्ध ही कर सकता है। भारतीय लोकतंत्र भी देश में यही कर पा रहा है।

एक स्वस्थ रूप से संचालित लोकतान्त्रिक समाज में भीड़ हिंसा मनोविज्ञान के दायरे में अकादमिक विमर्श की विषयवस्तु होती। उसकी सही जगह अपराध विज्ञान के म्यूजियम में होनी चाहिये। जबकि भारत में संसद से सुप्रीम कोर्ट तक यह मुद्दा ज्वलंत हो रहा है, और लगता है जैसे इसने फिलहाल राजनीति के केंद्र में जगह बना ली हो।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य हिंसा को नये आयाम पर पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता की कमान हाथ में आते ही विरासत में मिले कानून व्यवस्था के असफल शासन तंत्र की भरपाई पुलिस मुठभेड़ के स्टेरॉयड से करने की ठान ली। शुरुआती ग्लैमर उतरने के बाद यह कवायद प्रदेश में भी? हिंसा के समानांतर आयाम पैदा करने लगी है।

बिहार में राज्य हिंसा का एक घृणित रूप बाल गृहों के अमानवीय संचालन की मुजफ्फरपुर रिपोर्ट में उजागर हुआ। इसका पूरक, भीड़ हिंसा का रूप, भोजपुर में संदिग्ध स्त्री को निर्वस्त्र बाजार में घुमाने में दिखा। राज्य हिंसा रास्ता दिखाती है और भीड़ हिंसा अनुगमन करती है।

कभी-कभी तो यह समीकरण एकदम प्रतिबिम्ब जैसा हो जाता है। शासक की सवारी के लिए आम आदमी के रास्तों को बेहिसाब रोकने का औपनिवेशिक चलन स्वतंत्र भारत में भी कम नहीं हुआ है। विरोध दर्ज कराने या विशिष्टता जमाने के लिए, भीड़ का क्रमश: 'रास्ता रोको' और 'रास्ता छेंको' उससे तनिक भी भिन्न नहीं।

नि:संदेह, भारतीय राजनीति के वर्तमान दौर में हिंदुत्व की शक्तियों ने मॉब लिंचिंग का अभूतपूर्व राजनीतिकरण किया है। यहाँ तक कि भीड़ हिंसा, साम्प्रदायिक प्रसंगों और अन्धविश्वास प्रकरणों की परिधि तोड़कर ध्रुवीकरण की सामान्य गलियों में घुसने वाली परिघटना बनती गयी है।

हैम्बर्ग और लन्दन में राहुल गाँधी ने आरएसएस के जीवन दर्शन की सटीक तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की और भारत में चल रहे मॉब लिंचिंग दौर को काफी हद तक युवाओं में आर्थिक निराशा का परिणाम बताया। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा के लिए चिह्नित समुदायों की वर्जना को जिम्मेदार ठहराने की उनकी टिप्पणी, भारतीय मॉब लिंचिंग सन्दर्भ में हद से हद एक आंशिक व्याख्या भर ही हो सकती है।

राहुल गाँधी ने इस हालिया विदेशी दौरे में 1984 के सिख संहार के लिए तब की सत्तानशीन कांग्रेस को जिम्मेदार मानने से किनारा किया है। इसी तरह भाजपा भी 2002 के गुजरात पोग्राम और बाबरी मस्जिद विध्वंस की सीधी जिम्मेदारी नहीं लेती। भारतीय लोकतंत्र की ये तीन सबसे बड़ी त्रासदी बेशक भीड़ हिंसा की ही श्रेणी में आयेंगी; हालाँकि तीनों राज्य हिंसा के साये में संपन्न हुयी थीं।

भाजपा तो खैर राज्य हिंसा की सरपरस्ती के बिना एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना प्रभाव बरकरार रख ही नहीं सकती। उसके राज में सिटीजन रजिस्टर और गौ रक्षा तक इसके उपकरण बना दिए गये हैं। राहुल गाँधी भी यदि राज्य हिंसा के परिप्रेक्ष्य में बात करते तो उन्हें हाशिमपुरा-मलियाना और भोपाल गैस कांड का जवाब देना चाहिए था।

भाजपा और कांग्रेस दोनों पर समान रूप से आयद है कि वे आदिवासियों, वनवासियों और किसानों की पारिस्थितिकी पर अमानवीय कॉर्पोरेट हमलों की अपनी नीतियों का लेखा-जोखा दें। दोनों पार्टियों ने पुलिस, गिरफ्तारी, जेल और अदालती लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया है।

दरअसल, मॉब लिंचिंग पर विरोधी तेवर रखने वाली भाजपा और कांग्रेस, राज्य हिंसा पर अंतत: एक स्वर में मिलेंगी। अक्तूबर 2016 भोपाल जेल से फरार दिखाये आठ सिमी सदस्यों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराने को उस जांच कमीशन ने सही ठहरा दिया जिसकी कार्यवाही पर मृतकों के वकीलों ने लगातार सवाल खड़े किये। बिना उनके सवालों को निपटाए, भाजपा सरकार के कमीशन ने मुठभेड़ में मौतों को अपरिहार्य करार दिया।

अप्रैल 2015 आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के सेषाचलम जंगल में बीस तमिल लकड़हारों को, जिनके पास सिर्फ लकड़ी काटने के औजार थे, पुलिस ने चन्दन तस्कर बताकर गोलियों से भून दिया। सेषाचलम जंगल में एक लाख करो? की चन्दन लकड़ी का अनुमान है और मुठभेड़ के पीछे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त चन्दन माफिया का हाथ बताया गया। मामला हैदराबाद हाईकोर्ट में लंबित है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इसी जुलाई में फर्जी पुलिस मुठभेड़ों की बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का शायद ही कोई जमीनी असर हुआ हो। यहाँ तक कि फर्जी मुठभेड़ों पर लगातार सवाल उठाने वाले 'रिहाई मंच' के एक अग्रणी कार्यकर्ता राजीव यादव को भी पुलिस ने मुठभेड़ की धमकी दे डाली। अब यह मंच पूरे प्रदेश में जन अभियान यात्रा निकालने जा रहा है।

राज्य हिंसा की राजनीतिक बिसात पर ही देश में मॉब लिंचिंग का खूनी खेल चल रहा है। इसकी ठोस वजह है कि भीड़ हिंसा के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट का दखल भी क्यों बेहद लचर सिद्ध हुआ है। क्योंकि, राज्य हिंसा के परिप्रेक्ष्य में, सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी निर्णायक सन्देश हो जाती है।

मोदी सरकार द्वारा लूट-लूट कर खोखली कर दी गयी सरकारी कम्पनियों की खुली पोल

गिरीश मालवीय

सरकारी कंपनियों की हालत पर कैग (सीएजी) की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट यह बताती है कि बीमार चल रहे अधिकांश उपक्रमों (पीएसयू) में देश का हजारों करोड़ रुपये डूब रहा है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले ये सार्वजनिक उपक्रम लगातार बदहाली की नई पटकथा लिख रहे हैं।

मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल में PSU कम्पनियों को औसतन 30,000 करोड़ का घाटा हर साल हुआ है ओर देश की सरकारी कंपनियों के घाटे का आंकड़ा इन चार सालों में रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ को भी पार कर गया है। दरअसल PSU या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उन कम्पनियों को कहते हैं जिन कंपनियों की पूंजी में केंद्र या राज्य की 51 प्रतिशत या इससे अधिक हिस्सेदारी होती है।

कैग ने 1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाने वाली सरकारी कंपनियों की भी लिस्ट रिपोर्ट में बनाई है जिसके मुताबिक 2016-17 में सबसे ज्यादा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नुकसान हुआ। कंपनी को इस वर्ष 3,187 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। इसी तरह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को 2,941 करोड़, हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स कंपनी लिमिटेड को 2,917, यूनाइडेट इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1,914, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1,691 और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को 1,263 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इन कम्पनियों के इस घाटे से बचाने के लिए मोदी सरकार ने कोई कदम नही उठाए बल्कि उसका पूरा ध्यान तो इस घाटे को बढ़ाने में ही लगा रहा ताकि अडानी अम्बानी जैसे उद्योगपतियों को बेहद सस्ते दामों में इनको बेचा जा सके।

पिछले 1 साल में मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों में वित्तीय अनियमितताओं पता चली है, जिन्होंने सरकारी राजस्व को 1179 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है और यह भी 4 अप्रैल 2018 को संसद पहुंची कैग की रिपोर्ट में बताया गया है।

जिस पैसे को देश के विकास में सड़कों के निर्माण में या स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगाया जा सकता था उस पैसे से ये लोग सरदार पटेल की मूर्ति बनवा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए पैसा इन घाटे में जाती कम्पनियों से ही लिया जा रहा है।

CAG ने इस साल इसके अलावा संसद सत्र में एक रिपोर्ट ओर पेश की थी। CAG ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा कि गुजरात मे स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा पर ONGC ने 50 करोड़, इंडियन ऑयल ने 21.8 करोड़, BPCL, HPCL और OIL ने 25 करोड़ रुपए योगदान दिया है।

यह योगदान CSR फंड के तहत की गई है। CAG के मुताबिक CSR के नियमों के तहत कोई भी कंपनी किसी राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए CSR फंड का इस्तमाल कर सकती है, लेकिन सरदार पटेल की यह प्रतिमा राष्ट्रीय धरोहर नहीं मानी जा सकती। इसलिए तेल कंपनियों द्वारा उठाया गया यह कदम नियमों के खिलाफ है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2,989 करोड़ रुपए के खर्च का आंकलन किया गया है जो ऐसे ही वसूला जाएगा।

यह है मोदीं सरकार के 4 सालो के भ्रष्टाचार की कहानी का एक छोटा सा एपिसोड जो दलाल मीडिया आपको नही बताएगा।